छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2010
(श्रावण-8, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री रोहिणी कुमार बाजपेयी, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए ।

नगरीय प्रशासन मंत्री श्री राजेश मूणत, नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य सर्वश्री धर्मजीत सिंह, अजीत प्रमोद कुमार जोगी एवं गृह मंत्री श्री ननकीराम कंवर, सदस्य श्री दूजराम बौद्ध ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.15 बजे स्थगित होकर 11.21 बजे पुनः प्रारंभ हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए ।)

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06 एवं 08 से 10 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 07 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री राजकमल सिंघानिया अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 5 तारांकित एवं 25 अंतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 10 की चर्चा के दौरान शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

4. दर्शक दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि रायपुर की प्रथम महिला श्रीमती किरणमयी नायक दर्शक दीर्घा में अपने पार्षदों सहित उपस्थित हैं। सदन द्वारा मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया गया।

5. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (क्रमांक 1 सन् 2010) पटल पर रखा।

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने -

(1) विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 (क्रमांक 54 सन् 1948) की धारा 69 की उपधारा (5) के पद (क) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2001-2002 एवं 2002-2003, तथा

(2) छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009,

पटल पर रखे।

7.ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत कार्यसूची में 24 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है। क्रमांक (1) से (4) की सूचनाएं सदन में पढ़ी जावेंगी जिनका उत्तर माननीय मंत्री देंगे। शेष सूचनाओं में उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर विभागीय मंत्री का उत्तर पढ़े हुए माने जाएंगे।

(1) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने प्रदेश के आदिवासी अंचलों से युवतियों के लापता होने की ओर गृह मंत्री

का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने रायपुर जिले में उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषण फैलने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री राजेश मूणत आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने बिलासपुर स्थित सिम्स में चिकित्सा उपकरण खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(4) श्री नंदकुमार पटेल, डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने रायगढ़ जिला स्थित इण्ड सिनर्जी कोटमार के ए.जी.एम.द्वारा एक युवती के साथ अनाचार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रम 7 (1) के कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक	सदस्य
(5)	मोहम्मद अकबर
(6)	सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह
(7)	श्री नारायण चंदेल
(8)	सर्वश्री रविन्द्र चौबे, कुलदीप सिंह जुनेजा, धर्मजीत सिंह
(9)	श्री रामजी भारती

(10) सर्वश्री रविन्द्र चौबे, भजनसिंह निरंकारी

(11) डॉ.शक्राजीत नायक

(12) श्री रविन्द्र चौबे

(13) श्री धर्मजीत सिंह

(14) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह

(15) श्री चैतराम साहू

(16) डॉ.शक्राजीत नायक

(17) श्री नंदकुमार पटेल

(18) सर्वश्री नंदकुमार पटेल, रविन्द्र चौबे, जयसिंह अग्रवाल

(19) श्री नंदकुमार पटेल

(20) श्री लेखराम साहू, श्रीमती अंबिका मरकाम

(21) श्री नंदकुमार पटेल

(22) श्री नंदकुमार पटेल

(23) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह

(24) मोहम्मद अकबर

8. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचना पढ़ी हुई मानी गईं:-

(1) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम

(2) मोहम्मद अकबर

(3) श्री संतोष बाफना

(4) श्री शिवराज सिंह उसारे

(5) श्री परेश बागबाहरा

(6) श्री रामजी भारती

(7) श्री दूजराम बौद्ध

(8) महंत रामसुंदर दास

(9) श्री सौरभ सिंह

(10) श्री नारायण चंदेल

(11) श्री भोलाराम साहू

(12) श्री धर्मजीत सिंह

(13) श्री गुरुमुख सिंह होरा

(14) श्री रामदेव राम

(15) श्री रुद्रकुमार गुरु

9.प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री नारायण चंदेल, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन,

(2) श्री नंदकुमार पटेल, सभापति ने लोक लेखा समिति का इक्यावनवां, बावनवां, तिरेपनवां, चौवनवां, पचपनवां, छप्पनवां, सत्तावनवां, अट्ठावनवां, उनसठवां एवं साठवां प्रतिवेदन,

(3) श्री सेवकराम नेताम, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन, तथा

(4) श्री देवजी पटेल, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का द्वितीय (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन,

प्रस्तुत किया।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 20, सन् 2010)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 20, सन् 2010) पुरःस्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने शासन की ओर से प्राप्त छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 20 सन् 2010) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 15 मिनट का समय निर्धारित किया है।

(1.38 से 3.01 तक अंतराल)

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

11. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(2) छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 17, सन् 2010)

सुश्री लता उसेंडी, समाज कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 17, सन् 2010) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री परेश बागबाहरा, देवजी पटेल।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 7 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

सुश्री लता उसेंडी, समाज कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 17, सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ।

(3) हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 18, सन् 2010)

श्री रामविचार मंत्री, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 18, सन् 2010) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री परेश बागबाहरा।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री रामविचार मंत्री, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 18, सन् 2010) पारित किया जाय तथा संशोधन के संबंध में भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

12. वक्तव्य

वर्षाकाल में आंत्रशोथ एवं उल्टी-दस्त आदि बीमारियों की रोकथाम

वर्षाकाल में आंत्रशोथ एवं उल्टी-दस्त आदि बीमारियों की रोकथाम पर श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वक्तव्य दिया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

13. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- माननीय विधायकों को कम्प्यूटर का समुचित प्रशिक्षण दिये जाने हेतु विधान सभा सचिवालय द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की संस्था चिप्स के सहयोग से शनिवार, दिनांक 31 जुलाई, 2010 को तथा रविवार, दिनांक 01 अगस्त, 2010 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से 5.00 बजे तक विधान सभा परिसर स्थित समिति कक्ष क्रमांक 02 एवं मुख्य समिति कक्ष में कम्प्यूटर का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। समस्त माननीय सदस्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कम्प्यूटर/लैपटाप के उपयोग में दक्षता अर्जित करें।

14. अशासकीय संकल्प

(1) सदन का यह मत है कि "प्रदेश में संचालित समस्त शासकीय प्राथमिक विद्यालयों, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के परिसरों के चारों ओर बाउंड्रीवॉल का निर्माण किया जाय।"

महंत रामसुदंर दास, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

सर्वश्री फूलचंद सिंह, अग्नि चंद्राकर, नंदकुमार साहू, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री दूजराम बौद्ध, विरेन्द्र कुमार साहू, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री सौरभ सिंह, शिवराज सिंह उसारे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प में संशोधन प्रस्तावित किया कि संकल्प में "राज्य शासन राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत केन्द्र शासन से राशि के प्रावधान हेतु समुचित कार्यवाही करते हुए" जोड़ा जाय।

महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने इस हेतु सहमति व्यक्त की। तद्नुसार "राज्य शासन राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत केन्द्र शासन से राशि के प्रावधान हेतु समुचित कार्यवाही करते हुए प्रदेश में संचालित समस्त शासकीय प्राथमिक विद्यालयों, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के परिसरों के चारों ओर बाउंड्रीवॉल का निर्माण किया जाय।"

यथासंशोधित संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ।

(2) श्री संतोष बाफना, सदस्य (अनुपस्थित)

(3) सदन का यह मत है कि " औद्योगिक ईकाईयों के विसर्जित ठोस अपशिष्टों से यत्र-तत्र प्रदूषण फैलाए जाने पर तत्काल रोक लगाई जाय।"

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा भाषण दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए ।)

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

सर्वश्री परेश बागबाहरा, नंदकुमार साहू, भजनसिंह निरंकारी, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री सौरभ सिंह, दूजराम बौद्ध, दीपक कुमार पटेल, कुलदीप सिंह जुनेजा।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प में संशोधन प्रस्तावित किया कि संकल्प में वाक्यांश " से यत्र-तत्र प्रदूषण फैलाए जाने पर तत्काल रोक लगाई जाय" के स्थान पर " के निपटान हेतु कठोरतम कार्यवाही की जाए" वाक्यांश जोड़ा जाय।

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने इस हेतु सहमति व्यक्त की। तद्नुसार "औद्योगिक ईकाईयों के विसर्जित ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु कठोरतम कार्यवाही की जाए"

यथासंशोधित संकल्प स्वीकृत हुआ।

सायं 5.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनाँक 2 अगस्त, 2010 (श्रावण 11, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा